

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2019

विषय:-नीट पी0जी0 2019 में स्टेट कोटा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2019/592, दिनांक 09.03.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-358/71-4-2019-15/2018टी0सी0 दिनांक 09.03.2019 के बिन्दु संख्या-3(ख) को एतद्वारा निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

The Candidates who are domiciled in the State of Uttar Pradesh and who have obtained admission under All India Quota/AIIMS/Central Government Institutions for MBBS course in the Medical College/Institution situated outside Uttar Pradesh State and who have obtained the degree from a University situated outside the State of Uttar Pradesh will also be eligible for selection process of NEET-PG 2019. Such candidates should submit (i) certificate from the Principal/Dean of respective Medical College stating that the candidate was admitted under All India quota/AIIMS/Central Government Institutions for MBBS Course and (ii) Candidate's Domicile certificate of Uttar Pradesh state by virtue of residence issued by competent authority.

3- उक्त शासनादेश संख्या-358/71-4-2019-15/2018टी0सी0 दिनांक 09.03.2019 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-359 (1)/71-4-19-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
5. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
11. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।